HAPUR POLICE

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए 03 हत्यारोपियों (सगे भाईयों) को आजीवन सश्रम कारावास व 22-22 हजार रुपये (कुल 66,000/- रू0) के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 04.04.2025 को मा0 न्यायालय के द्वारा "हत्या" के अभियोग में 03 हत्यारोपियों को दंडित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 22.02.2018 को अभियुक्तगण 1.रामकुमार, 2. मुकेश व 3. नीरज पुत्रगण मलखान निवासीगण ग्राम सरावा थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ द्वारा अपने गांव निवासी प्रमोद त्यागी के साथ मारपीट कर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हापुड़ नगर पर मु0अ0सं0 150/2018 धारा 302, 427, 506, 34 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 06.05.2018 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 04.03.2025 को अभियुक्तगण उपरोक्त को दोषसिद्ध पाये जाने पर मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश हापुड़ द्वारा आजीवन सश्रम कारावास व 22-22 हजार रुपये (कुल 66,000/- रू0) के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री गौरव नागर (डी.जी.सी) व विवेचक निरीक्षक श्री पंकज लवानिया एवं पैरोकार म0है0का0 मधु व कोर्ट मोहर्रिर है0का0 301 विपिन कुमार का विशेष योगदान रहा।